अपील सूचना अधिकार संख्या 14/2021 (GCMS 2021/25) देवेन्द्र नारायण शर्मा, निवासी 67 चाणक्य नगर, नई शिवबाड़ी रोड़, बीकानेर – 334003 (राज.) मो.न. – 98290–81780बनाम उपजिला अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

03.03.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी देवेन्द्र नारायण शर्मा स्वयं उपस्थित हुआ और उसने कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2020 के द्वारा सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा मुझे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी देवेन्द्र नारायण शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> मिसल नम्बर 79/1986 मूल फाईल एस.डी.एम. रायसिंहनगर निर्णय दिनांक 25.03.1989
>
> 1930/72 मूल फाईल निर्णय दिनांक 25.11.1972 ए.सी.सी.आर.सी.पी. (सूरतगढ़) रायसिंहनगर मुकाम सूरतगढ श्री सत्यनारायण, जेठी देवी 1 जे.एस.डी. और बाद निर्णय 25.03.1989 को एस.डी.एम., रायसिंहनगर 79/1986 मूल फाईल की समस्त प्रतिलिपि प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार सूरतगढ ने अपने पत्रांक सूकाअ/2021/14 दिनांक 02.03.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के संलग्न प्रार्थी देवेन्द्र नारायण शर्मा के अपील प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार है–

प्रार्थी देवेन्द्र नारायण शर्मा का सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र जरिये डाक इस कार्यालय में दिनांक 25.11.2020 को प्राप्त हुआ।

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध इस कार्यालय से न होकर उपखण्ड कार्यालय रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर से होन के कारण प्रार्थी का सूचना का अधिकार 2005 के तहत आवेदन पत्र मूल ही इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/2020/50 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को हस्तान्तरित किया जाकर प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाये जाने हेतु भिजवाया गया। जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/2020/51 दिनांक 24.12.2020 द्वारा दी गई।

अतः उक्तानुसार जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील, अपीलार्थी खारिज करने की मेहरबानी फरमावें।

-sd-
प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार
सूरतगढ़

मैनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, सूरतगढ द्वारा दिये गये जवाब का अवलोकन किया तो अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2020 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 25.11.2020 को प्राप्त हुआ है को दिनांक 24.12.2020 को स्थानान्तरित किया है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचनाओं का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से है। इस संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) अवलोकनीय है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है–

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उसे अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा :

- **परन्तु यह कि इस उप –धारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।**

चूंकि उक्त सूचना का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से है इसलिए लोक सूचना अधिकारी को इस सूचना हेतु उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को 5 दिवस के भीतर अंतरण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और ऐसा अंतरण 5 दिवस पश्चात नहीं किया जा सकता। इसलिए उक्त वांछित अभिलेख को सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा मंगवाकर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाना चाहिए था। अतः इस बिन्दु पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2020 में अंकित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। इसके साथ साथ प्रभारी अधिकारी, जिला

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अभिलेखागार, सूरतगढ को भी आदेशित किया जाता है कि अगर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से वांछित अभिलेख उपलब्ध हो जाता है तो नियमानुसार अपीलार्थी को अपने स्तर से भी अभिलेख उपलब्ध करवाने की कार्यवाही करे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, सूरतगढ एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर